न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 75/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/01233**
दायर दिनांक :– 01.05.2019 **निर्णय दिनांक :– 10.01.2025**

1. भोमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. सवाईसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. मोडसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपूत फौत के कायम मुकाम

2/1 राणीदानसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
2/2 जसुकंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
2/3 भजुकंवर पुत्री मोडत्रसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
2/4 होलुकंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
2/5 रूखमकंवर पत्नी मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 455 रकबा 15–13 बीघा, खसरा नम्बर 456 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 34–11 बीघा और खसरा नम्बर 459 रकबा 44–02 बीघा कुल रकबा 95–04 बीघा भूमि सरहद मौजा शेखासर तहसील बाप में स्थित है। ग्राम शेखासर में से नया राजस्व ग्राम बन्धेरी अलग बनने पर वर्तमान में उक्त भूमि ग्राम बन्धेरी की सरहद सीमा में आ गई है। उक्त भूमि का पर्चा लगान वक्त सेटलमेंट अखेसिंह व मोडसिंह पि. लूणसिंह कौम राजपूत निवासी शेखासर के नाम जारी हुआ। अखेसिंह फौत हो चुके है उसके कोई जाईन्दा औलाद नहीं थी। अखेसिंह के हिन्दू उतराधिकार अधिकार अधिनियम के तहत उतराधिकारी व वारिसान वादी के पिता देवीसिंह प्रतिवादी संख्या 2 मोडसिंह और माडूकंवर तीन सगे भाई व बहन हुवे जो तीनों ही अखेसिंह फौत होने पर उनके 1/2 हिस्से की उक्त भूमि पर काबिज हुवे इसलिए अखेसिंह के 1/2 हिस्से की उक्त भूमि के कानूनी हकदार वादी के पिता देवीसिंह प्रतिवादी संख्या 2 मोडसिंह और माडूकंवर तीनों बराबर

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हिस्से अनुसार है लेकिन अखेसिंह फौत होने पर माडूकंवर ने पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत शेखासर से मिलावट कर उनकी वारिसअपने अकेली को ही बता कर अखेसिंह के 1/2 हिस्से की उक्त भूमि का अखेसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 138 मौजा शेखासर अपने अकेली के हक में भरवाकर स्वीकृत करवा लिया जो सरासर गलत और विधि विरूद्व होने से वादी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व बेअसर है। नामान्तरकरण संख्या 138 मौजा शेखासर स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत शेखासर ने वादी व उसके पिता देवीसिंह को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया न ही अखेसिंह के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार सभी सही वारिसान की कोई जाचं की और न ही उक्त भूमि के कब्जे बाबत कोई जांच की अखेसिंह के हिन्दू उतराधिकार अधिनिमय के तहत उतराधिकारीगण व वारिसान वादी के पिता देवीसिंह प्रतिवादी संख्या 2 मोडसिंह और माडूकंवर तीनों ही है जो तीनों अखेसिंह फौत होने पर उनके 1/2 हिस्से की उक्त भूमि पर काबिज हुवे जो कब्जा मौके पर वादी अपने हिससे अनुसार आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 138 मौजा शेखासर सरासर गलत विधि विरूद्व, प्राकृतिक और नर्सेगिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से काबिल खारिज के है। वादी उक्त नामान्तरकरण संख्या 138 मौजा शेखासर खारिज करवाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है माडूकंवर ने 1/2 हिस्से की पूरी भूमि दिनांक 31.01.1984 को प्रतिवादी संख्या 1 को बख्सीश कर दी जो सरासर गलत व अवेध बख्सीश है। उक्त बख्सीश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 524 मौजा शेखासर अपने हक में भरवाकर स्वीकृत करवा लिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 524 मौजा शेखासर स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत शेखासर ने वादी व उसके पिता देवीसिंह को सूचना नहीं प्रदान की। उक्त बख्सीश और नामान्तरकरण संख्या 524 मौजा शेखासर स्वतः ही गलत होने से काबिल खारिज के है। वादी उक्त नामान्तरकण संख्या 138 माज शेखासर व उसकी विनाय पर भराजाकर स्वीकृत किया गया पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 524 मौजा शेखासर खारिज घोषित करवा कर उनके आधार पर उक्त के राजस्व रेकर्ड में किये गये तमाम राजस्व इन्द्राजात निरस्त करवाने और उक्त भूमि ग्राम बन्धेरी के खसरा नम्बर 455 रकबा 15–13 बीघा, खसरा नम्बर 456 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 34–11 बीघा व खसरा नम्बर 459 रकबा 44–02 बीघा कुल रकबा 95–04 बीघा 1/2 हिस्सा वादी और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी की घोषित करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी भोमसिंह ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया और इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

12/01/15
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 455 रकबा 15–13 बीघा, खसरा नम्बर 456 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 34–11 बीघा और खसरा नम्बर 459 रकबा 44–02 बीघा कुल रकबा 95–04 बीघा भूमि सरहद मौजा शेखासर तहसील बाप में स्थित है। ग्राम शेखासर में से नया राजस्व ग्राम बन्धेरी अलग बनने पर वर्तमान में उक्त भूमि ग्राम बन्धेरी की सरहद सीमा में आ गई है। उक्त भूमि का पर्चा लगान वक्त सेटलमेंट अखेसिंह व मोडसिंह पि. लूणसिंह कौम राजपूत निवासी शेखासर के नाम जारी हुआ। अखेसिंह फौत हो चुके है उसके कोई जाईन्दा औलाद नहीं थी। अखेसिंह के हिन्दू उताराधिकार अधिकार अधिनियम के तहत उताराधिकारी व वारिसान वादी के पिता देवीसिंह प्रतिवादी संख्या 2 मोडसिंह और माडूकंवर तीन सगे भाई व बहन हुवे जो तीनों ही अखेसिंह फौत होने पर उनके 1/2 हिस्से की उक्त भूमि पर काबिज हुवे इसलिए अखेसिंह के 1/2 हिस्से की उक्त भूमि के कानूनी हकदार वादी के पिता देवीसिंह प्रतिवादी संख्या 2 मोडसिंह और माडूकंवर तीनों बराबर हिस्से अनुसार है लेकिन अखेसिंह फौत होने पर माडूकंवर ने पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत शेखासर से मिलावट कर उनकी वारिसअपने अकेली को ही बता कर अखेसिंह के 1/2 हिस्से की उक्त भूमि का अखेसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 138 मौजा शेखासर अपने अकेली के हक में भरवाकर स्वीकृत करवा लिया जो सरासर गलत और विधि विरूद्व होने से वादी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व बेअसर है। नामान्तरकरण संख्या 138 मौजा शेखासर स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत शेखासर ने वादी व उसके पिता देवीसिंह को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया न ही अखेसिंह के हिन्दू उताराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार सभी सही वारिसान की कोई जाचं की और न ही उक्त भूमि के कब्जे बाबत कोई जांच की अखेसिंह के हिन्दू उताराधिकार अधिनिमय के तहत उताराधिकारीगण व वारिसान वादी के पिता देवीसिंह प्रतिवादी संख्या 2 मोडसिंह और माडूकंवर तीनों ही है जो तीनों अखेसिंह फौत होने पर उनके 1/2 हिस्से की उक्त भूमि पर काबिज हुवे जो कब्जा मौके पर वादी अपने हिससे अनुसार आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 138 मौजा शेखासर सरासर गलत विधि विरूद्व, प्राकृतिक और नर्सेगिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ और हिन्दू उताराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से काबिल खारिज के है। वादी उक्त नामान्तरकरण संख्या 138 मौजा शेखासर खारिज करवाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है माडूकंवर ने 1/2 हिस्से की पूरी भूमि दिनांक 31.01.1984 को प्रतिवादी संख्या 1 को बख्सीश कर दी जो सरासर गलत व अवेध बख्सीश है। उक्त बख्सीश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 524 मौजा शेखासर अपने हक में भरवाकर स्वीकृत करवा लिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 524 मौजा शेखासर स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत शेखासर ने वादी व उसके पिता देवीसिंह को सूचना नहीं प्रदान की। उक्त बख्सीश और नामान्तरकरण संख्या 524 मौजा शेखासर स्वतः ही गलत होने से काबिल खारिज के है। वादी उक्त नामान्तरकण संख्या 138 माज शेखासर व उसकी विनाय

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पर भराजाकर स्वीकृत किया गया पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 524 मौजा शेखासर खारिज घोषित करवा कर उनके आधार पर उक्त के राजस्व रेकर्ड में किये गये तमाम राजस्व इन्द्राजात निरस्त करवाने और उक्त भूमि ग्राम बन्धेरी के खसरा नम्बर 455 रकबा 15–13 बीघा, खसरा नम्बर 456 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 34–11 बीघा व खसरा नम्बर 459 रकबा 44–02 बीघा कुल रकबा 95–04 बीघा 1/2 हिस्सा वादी और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्राम बन्धेरी के खसरा नम्बर 455 रकबा 15–13 बीघा, खसरा नम्बर 456 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 34–11 बीघा व खसरा नम्बर 459 रकबा 44–02 बीघा कुल रकबा 95–04 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अखेसिंह पुत्र लूणसिंह के फौत होने पर माड़ूकंवर पुत्री लूणसिंह ने अपने अकेले के नाम सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि नामान्तरकण संख्या 138 के जरिये अपने नाम दर्ज करवा ली परन्तु उक्त भूमि में वादी के पिता का भी हक हिस्सा बनता था। तत्पश्चात माडुकंवर ने उक्त भूमि जरिये बख्सीशनामा के प्रतिवादी संख्या 1 को बख्सीश कर दी जिसका नामन्तरकरण संख्या 524 भरा गया। इसलिए उक्त नामान्तरकरणों को खारिज किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 138 व 524 मौजा शेखासर को निरस्त किया जाकर ग्राम शेखासर नवसृजित ग्राम बन्धेरी के खसरा नम्बर 455 रकबा 15–13 बीघा, खसरा नम्बर 456 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 34–11 बीघा व खसरा नम्बर 459 रकबा 44–02 बीघा कुल रकबा 95–04 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

10/01/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. भोमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. सवाईसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. मोडसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपूत फौत के कायम मुकाम

2/1 राणीदानसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

2/2 जसुकंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

2/3 भजुकंवर पुत्री मोडत्रसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

2/4 होलुकंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

2/5 रूखमकंवर पत्नी मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 75/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि नामान्तरकरण संख्या 138 व 524 मौजा शेखासर को निरस्त किया जाकर ग्राम शेखासर नवसृजित ग्राम बन्धेरी के खसरा नम्बर 455 रकबा 15–13 बीघा, खसरा नम्बर 456 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 34–11 बीघा व खसरा नम्बर 459 रकबा 44–02 बीघा कुल रकबा 95–04 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक | बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर | फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक | को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

10/01/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।